


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कमॉक/316/सां0लि0/2020

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020

दुर्ग जिले में COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1857 के सुरंगत धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि कार्यालयीन आदेश कमॉक 2913/प्र0जि0म0/2020 दुर्ग, दिनांक 23.3.2020 के अन्तर्गत छूट प्राप्त दुकानदारों द्वारा सामान्य प्रचलित दर से अधिक दर पर सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। अधिक दर पर विक्री अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही योग्य होने के अतिरिक्त इस आदेश का उल्लंघन भी होगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-188 के तहत दण्डनीय होगा, तथा संबंधित दुकान के खुलने की छूट भी समाप्त मानी जावेगी।



(अंकित आनंद)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020

पृ0कमॉक/317/सां0लि0/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग,
6. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग,
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली,
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग,
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/धमधा/पाटन,
11. सर्व उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जिला दुर्ग
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग/धमधा/पाटन,  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. उप संचालक, जन सम्पर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
दुर्ग